

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *312

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक) को दिया गया

भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी भुगतान

*312. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्री एस. रामलिंगम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी भुगतान के लिए भारतीय रुपया (आईएनआर) को एक तंत्र के रूप में आरंभ करने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम से देश को क्या लाभ होंगे;
- (ग) भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत से व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों और सरकारी खजाने को किस हद तक मदद मिलेगी;
- (घ) क्या इस निर्णय से विभिन्न देशों से किए गए अनेक आयात के कारण हुए देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी;
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और
- (च) क्या सरकार ने उन देशों, जिनसे तेल का आयात किया जाता है, के अलावा ऐसे देशों से भी रुपये में व्यापार शुरू किया है जिनके साथ उसका व्यापार घाटा है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी भुगतान” के संबंध में श्री कीर्ति वर्धन सिंह एवं श्री एस. रामलिंगम, माननीय संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए 8 अगस्त, 2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *312 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान के संबंध में दिनांक 11.7.2022 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 10/आरबीआई/2022-23/90 के द्वारा “अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपया (आईएनआर)” में इन्वॉयस तैयार करने तथा भुगतान करने की अनुमति दी है।

(ख) और (ग): आरबीआई द्वारा दिनांक 11.7.2022 के उक्त परिपत्र में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत आईएनआर में सीमा पार व्यापार संबंधी लेन-देन के लिए व्यापक संरचना की रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है। परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि उक्त व्यवस्था के अंतर्गत सभी निर्यातों और आयातों को रुपया (आईएनआर) में दर्शाया जा सकता है तथा इन्वॉयस तैयार किया जा सकता है, व्यापार करने वाले दो साझेदार देशों की मुद्रा की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होगी और व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार संबंधी लेन-देन का भुगतान परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईएनआर में किया जाएगा। आरबीआई ने भारत से निर्यात पर जोर देते हुए तथा वैश्विक कारोबारी समुदाय को आईएनआर में रूचि बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वैश्विक कारोबार की वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यात/आयात का इन्वॉयस, भुगतान तथा अदायगी आईएनआर में करने की व्यवस्था लागू की है।

(घ) और (ड.): जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है आरबीआई ने भारत से निर्यात पर जोर देते हुए तथा वैश्विक कारोबारी समुदाय को आईएनआर में रूचि बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु नकद मुद्रा पर निर्भरता को कम करके वैश्विक कारोबार की वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त व्यवस्था लागू की है। निर्यात के बढ़ने से व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

(च): अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इन्वॉयसिंग और भुगतान आईएनआर में करने की अनुमति के लिए आरबीआई द्वारा लागू संरचना, आरबीआई के दिनांक 11.7.2022 के परिपत्र के संदर्भ में भारत के साथ आईएनआर में कारोबार करने के इच्छुक किसी भी साझेदार देश, के लिए लागू है। आरबीआई के परिपत्र के पैरा 10 के संदर्भ में विशेष आईएनआर वोस्ट्रो खाता खोलने संबंधी अनुमोदन प्रक्रिया यह है कि साझेदार देशों के बैंक भारत में लेन-देन करने वाले प्राधिकृत (एडी) बैंक से संपर्क करेगा, जो व्यवस्था के ब्यौरे के साथ आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करेगा। एडी बैंक, जिसमें विशेष आईएनआर वोस्ट्रो खाता होता है, के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि संपर्की बैंक उच्च जोखिम अथवा गैर-सह-संचालनीय क्षेत्र संबंधी अद्यतन एफएटीएफ के सार्वजनिक विवरण में उल्लिखित किसी ऐसे देश अथवा क्षेत्र से न हो जिनके संबंध में एफएटीएफ ने प्रतिकूल उपायों की मांग की है।
